प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 20.07.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 03-03 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 5,500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 5,500/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.05.2014 को वादी विनोद कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम जारपुरा थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर अभियुक्तगणों द्वारा वादी के साथ लाठी डंडो से मारपीट करने व विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध मे तहरीरी सूचना दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना भरथऩा पर **मु0अ0सं0-255/14 धारा- 323/34,324/34,504,506.307 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री हरवीर सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 मनीष कसाना एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 20.07.2024 को अन्तर्गत धारा 323/34,325/34 भादवि मे मा0 न्यायालय ADJ/FTC II इटावा द्वारा 03-03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा प्रत्येक को 5,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **महाराज सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी जारपुरा थाना भरथना जनपद इटावा।**
2. **राजीव कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी उपरोक्त।**
3. **सुधीर कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी उपरोक्त।**